


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## :: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक पं08(55) शिक्षा-5/04 जयपुर दिनांक 21/9/2005 एवं 23/5/2007 के अनुसरण में निम्नलिखित मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को वर्तमान परिसर के अलग कक्षा कक्षाओं में पूर्व में स्वीकृत माध्यम (हिन्दी/अंग्रेजी) के साथ-साथ माध्यमिक (कक्षा 6 से 10)/उच्च माध्यमिक (कक्षा 6 से 12) स्तर तक उनके सम्मुख अंकित अतिरिक्त माध्यम (हिन्दी/अंग्रेजी) से अध्ययन करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	जिला	विद्यालय का नाम	अति० माध्यम में चाहा गया विद्यालय स्तर	पूर्व स्वीकृत माध्यम	स्वीकृत अतिरिक्त माध्यम
1	Sikar	विवेकानन्द उमावि०, औद्योगिक क्षेत्र, नीमका थाना, सीकर	उच्च माध्यमिक	हिन्दी	अंग्रेजी
2	Sikar	टैगोर इन्टरनेशनल सी.सै.स्कूल, किसान कॉलोनी	उच्च माध्यमिक	हिन्दी	अंग्रेजी
3	Jaipur	जगदीश पब्लिक सी.सै. स्कूल, दूदू, जयपुर	उच्च माध्यमिक	हिन्दी	अंग्रेजी
4	Hanumangarh	अमृत मॉडल सैकण्डरी स्कूल, नगीना मार्ग, हनुमानगढ जंक्शन	माध्यमिक	हिन्दी	अंग्रेजी

उक्त वर्णित संस्थाओं को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 की तथा समय-समय पर जारी नियम/निर्देशों की पालना करनी होगी। नियमों की अवहेलना पाई जाने पर नियमानुसार स्वीकृतियां निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।


  
 उप निदेशक, (माध्यमिक)  
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
 बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/मा/अ-3/भनावमा/मूल/2013

दिनांक : 27/11/14

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त आदेश को
4. उप निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा विभाग
5. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संबंधित संस्था प्रधान
7. रक्षित पत्रावली

  
 उप निदेशक (माध्यमिक)  
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
 बीकानेर



# कार्यालय:जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, सीकर

## कार्यालय आदेश

श्रीमान् निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश कमांक शिविरि/प्रारं/शैक्षिक/सी/सी-एफ/19626/म.ना.व.मा./14-15,दिनांक:-21.05.14 एवं राज्य सरकार का पत्रांक प.9 (2) शिक्षा-5/2005 पार्ट जयपुर ,दिनांक 20.05.14 के निर्देशानुसार निम्नांकित गैर सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र ,शपथ-पत्र एवं निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर सत्र 2014-15 से पूर्व में जारी मूल मान्यता आदेशों की शर्तों के अधीन विद्यालय को निम्नानुसार अतिरिक्त माध्यम से शिक्षण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र स	विद्यालय का नाम	मूलमान्यता आदेश में शिक्षण का माध्यम	सत्र 2014-15 से विद्यालय में शिक्षण का अतिरिक्त माध्यम		ब्लॉक
			अतिरिक्त माध्यम	स्तर	
1	टैगोर इन्टरनेशनल सै0स्कूल भवन नं0 110 वार्ड नं0 41 ,खीचड हॉस्पिटल के पीछे ,किसान कॉलोनी ,नवलगढ रोड ,सीकर	हिन्दी	अंग्रेजी	प्राथमिक	सीकर शहर

उक्त वर्णित संस्था को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम,1989 एवं नियम 1993, आर टी ई अधिनियम 2009 की तथा समय-समय पर जारी नियम/निर्देशों की पालना करनी होगी। नियमों की अन्वेषणा पाई जाने पर नियमानुसार स्वीकृति निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

sd  
जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक शिक्षा,सीकर

दिनांक: 15.7.2014

कमांक:-जिशिअ/प्राशि/सी/मान्यता/विधि/2014/112

प्रतिलिपि निम्नांकित का सूचनार्थ एवं पालनार्थ -

1. श्रीमान् निदेशक महोदय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
2. श्रीमान् उप निदेशक जयपुर संभाग,जयपुर।
3. श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी मा0प्रथम/द्वितीय,सीकर।
4. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी समय-समय पर विद्यालयों का निरीक्षण कर विभागीय निर्देशों व शर्तों की पालना सुनिश्चित करवायेगें।
5. संबंधित संस्था प्रधान /सचिव/अध्यक्ष.....
6. संयोजक एवं प्रधानाध्यापक,जिला समान परीक्षा/कीडा प्रतियोगिता ,सीकर।
7. प्रभारी/सामान्य/शैक्षिक प्रकोष्ठ/सांख्यिकी/आर टी ई/संस्थापन शाखा कार्यालय हाजा ,सीकर।
8. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक शिक्षा,सीकर



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम, सीकर (राजस्थान)

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के पत्रांक-409(2) शिक्षा-5, 2010 जर्नल दिनांक 30.12.11, 12.1.12, 25.2.12, 31.5.12 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक 8- शिविरा-माध्य/मा/अ-4/21313/बी-3/2012-13 दिनांक 17.9.12 की पालना में और तानुसार में सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों को निम्न शर्तों के आधार पर सत्र 2012-13 से उच्च माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त संकाय/विषय प्रारम्भ करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। निम्नांकित विद्यालयों द्वारा पर्फॉरमेंस-1 में आवेदन करने, शपथ पत्र व अप्पडर टेकिंग प्रस्तुत करने एवं निर्धारित आरक्षित कोष/मान्यता शुल्क राशि जमा करवाये जाने पर उक्त मान्यता/कमौन्नति प्रदान की जा रही है।

- 1- संस्था अनुदान की मांग नहीं करेगी। राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिये नहीं होगा।
- 2- संस्था में प्रशिक्षित अध्यापकों को ही नियुक्त किया जाएगा।
- 3- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 व नियम, 1993 के प्रावधानों की यथोचित पालना की जायेगी।
- 4- संस्था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विनियमनों व निर्देशों की पालना करती रहेगी।
- 5- संस्था सत्र 2012-13 में कक्षा 11वीं प्रारम्भ करेगी एवं उसके बाद सत्र 2013-14 में 12वीं प्रारम्भ करेगी।
- 6- संस्था अतिरिक्त संकाय/विषय हेतु पर्याप्त भवन एवं कक्षा कक्ष तथा प्रयोगशाला आदि की व्यवस्था करेगी।
- 7- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निरीक्षण के समय अथवा विभाग द्वारा निरीक्षण के समय किसी प्रकार की कौताही पाई गई तो संस्था की मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही पर विचार किया जावेगा।
- 8- संस्था को निर्धारित आरक्षित कोष रखना होगा।
- 9- संस्था को आवश्यक रूप से प्रति तीन वर्ष के लिए भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
- 10- संस्था तत्काल अस्थाई मान्यता हेतु प्रपत्र-क भरकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर को जमा करा दें अन्यथा कमौन्नति आदेश जारी किए गए सत्र के लिए प्रभावी नहीं माने जावेंगे एवं विलम्ब शुल्क भी बोर्ड को देना होगा। प्रपत्र-क की एक प्रति निदेशालय, बीकानेर को भी प्रस्तुत करनी होगी। समय पर प्रपत्र-क भरकर प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षार्थियों के परीक्षा से वंचित रहने तथा विलम्ब शुल्क के भुगतान के लिए सम्बन्धित शाला प्रधान ही जिम्मेदार होंगे।
- 11- विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन के पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। विद्यालय के पते में बिना किसी राजकीय स्वीकृति के परिवर्तन नहीं किया जावेगा एवं कमौन्नति के पश्चात् भी विभाग का जांच दल संस्था का निरीक्षण कर सकता है। यदि उस समय स्थान, भवन एवं आवश्यक सुविधाओं में कोई कमी पाई गई तो संस्था की मान्यता/कमौन्नति निरस्त कर दी जायेगी।
- 12- राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों/नियमों/निर्देशों की पालना करनी होगी एवं वांछित सूचनारें/अभिलेख उपलब्ध करवाने होंगे।
- 13- कक्षा 11वीं में छात्र संख्या 30 एवं छात्रा संख्या 20 से कम हो तो कक्षाएं आरम्भ नहीं की जावे।
- 14- कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के मामलों में राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 की पालना अनिवार्य है अन्यथा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 व नियम 1993 के अधीन दी गई मान्यता समाप्त की जा सकेगी।

उच्च माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त संकाय/विषय प्रारम्भ करने के स्वीकृति सूची सत्र 2012-13.

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	संकाय	विषय	माध्यम
1	सरस्वती बाल विद्या निकेतन उमावि बटोट	विज्ञान संकाय	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित	हिन्दी
		वाणिज्य संकाय	लेखा शा. व्या. व्या. सांख्यिक प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन, कम्प्यूटर विज्ञान	
2	टैगोर इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवन नं.110, वार्ड नं.41 खीचड़ हास्पिटल के पिछे, किसान कालोनी, नवलगढ़ रोड, सीकर	विज्ञान संकाय	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, कृषि विज्ञान	हिन्दी
3	एम.के. मेमोरियल ऐकैडमी उमावि सेठों की कोठी के पास, न.एच.11 लक्ष्मणगढ़	वाणिज्य संकाय	लेखा शा. व्यावसायिक प्रबन्ध आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन (अर्थशास्त्र), व्यावसायिक गणित एवं सांख्यिकी, व्यावसायिक सूचना व्यवस्था एवं अनुप्रयोग	हिन्दी
4	एस.के. देबडा उमावि फतेहपुर शेखावाटी	विज्ञान संकाय	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित	अंग्रेजी
		-	वाणिज्य में अतिरिक्त विषय:- कम्प्यूटर विज्ञान, इन्फार्मेटिक्स प्रेजेंटेशन, मल्टीमिडिया और वेब टेक्नोलॉजी	
5	श्रीरघुनाथ उमावि लक्ष्मणगढ़	-	वाणिज्य में अतिरिक्त विषय:- कम्प्यूटर विज्ञान, इन्फार्मेटिक्स प्रेजेंटेशन, मल्टीमिडिया और वेब टेक्नोलॉजी	हिन्दी
6	सरस्वती शिक्षण संस्थान, उमावि गनेडी	विज्ञान संकाय	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित	हिन्दी
7	सनराइज गुरुकुल शिक्षण संस्थान उमावि खीचड़ों का बास, सीकर	विज्ञान संकाय	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित	हिन्दी
8	शिशु बाल बिहार उमावि अनोखू	विज्ञान संकाय	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित	हिन्दी
9	सरस्वती शिक्षण संस्थान उमावि बेरी	विज्ञान संकाय	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित	हिन्दी
		वाणिज्य	लेखाशास्त्र, व्यावसायिक संगठन, कम्प्यूटर वि०, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन	



10	ग्राम भारती विद्यापीठ उमावि कोठयासी	-	कला में अतिरिक्त विषय- गोल, इतिहास अंग्रेजी सा, लोक शासन, गृह विज्ञान, कम्प्यूटर वि	हिन्दी
11	सरस्वती शिक्षण संस्थान उमावि राणीसती मन्दिर चूरु रोड फर्तहपुर शेरखावाटी	-	कला में अतिरिक्त विषय- ई सा, इतिहास, समाज शास्त्र	हिन्दी
12	ग्रामीण बाल विद्या निकेतन उमावि फदनपुरा, सीकर	-	कला में अतिरिक्त विषय- गदू सा, अंग्रेज सा, कम्प्यूटर वि, गृह विज्ञान	हिन्दी
13	भारती बाल निकेतन उमावि ज्योतिनगर सीकर	वाणिज्य संकाय	संख्याशास्त्र, व्यावसायिक संगठन, कम्प्यूटर वि०, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन	हिन्दी
14	सरस्वती शिक्षण संस्थान उमावि दोलतपुरा	-	कला में अतिरिक्त विषय- हिन्दी सा, संस्कृत सा, कम्प्यूटर वि, अंग्रेजी सा, चित्रकला	हिन्दी
15	गोयनका बाल विद्या निकेतन उमावि लक्ष्मणगढ	विज्ञान संकाय	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित	हिन्दी
16	के.के.नेशनल ऐकेडमी शिक्षण संस्थान किरडोली	-	कला में अतिरिक्त विषय- इतिहास, चित्रकला, गृह विज्ञान अंग्रेजी सा, हिन्दी सा	हिन्दी
17	कुम्भाराम आर्य शिक्षण संस्थान उमावि दूगोली	-	कला में अतिरिक्त विषय- चित्रकला, कम्प्यूटर वि, इतिहास	हिन्दी

जिला शिक्षा अधिकारी  
माध्यमिक-प्रथम, सीकर

दिनांक 19.9.12

क्रमांक-जि.शिक्षा/मा0प्र0/सी/मान्यता/2012-13/1136

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1- शासन उप सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (गुप-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 2- सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
- 3- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
- 4- शिक्षा उपनिदेशक, माध्यमिक, जयपुर संभाग, जयपुर
- 5- सम्बन्धित विद्यालय
- 6- कार्यालय प्रति

जिला शिक्षा अधिकारी  
माध्यमिक-प्रथम, सीकर